<u>सूचना का अधिकार/रजिस्टर्ड</u>

उत्तर प्रदेश शासन
उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनु0-1
सं0-104/सू0अ0-5/84-1-2013/सू0अ0-05/13
लखनऊ 28 नवम्बर,2013

श्रीमती माण्डवी त्रिपाठी
पत्नी श्री श्याम जीवन त्रिपाठी
एडवोकेट हाईकोर्ट
नि0-1088 सिविल लाइन उरई
<u>जिला-जालौन, उ0प्र0</u>

जन सूचना अधिकारी अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचनायें उपलब्ध कराये जाने विषयक आपके पत्र दिनांक 19.11.2013 में वांछित सूचनायें बिन्दुवार निम्नवत है:-

(1) जिलाधिकारी जालौन का पत्र दिनांक 07.02.2013 शासन में दिनांक 22.02.2013 को प्राप्त हुआ जिस पर शासन के पत्र सं0-155/84-1-2013 दिनांक 22.02.2013 द्वारा नियंत्रक विधिक माप विज्ञान विभाग को नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निदेर्शित किया गया है।

(2) जिलाधिकारी जालौन (श्रीराम गणेश) का पत्र दिनांक 01.01.2013 शासन को प्राप्त नही हुआ है, अपितु दिनांक 01.07.2013 का पत्र दिनांक 16.07.2013 को शासन में प्राप्त हुआ है, जिसे नियंत्रक विधिक माप विज्ञान विभाग को शासन के पत्र दिनांक 06.08.2013 द्वारा आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित कर दिया गया।

(3) नियंत्रक,विधिक माप विज्ञान विभाग के पत्र दिनांक 06.08.2013 पर विचारोपरान्त कतिपय अनिवार्य अभिलेख एवं सूचनाऐं प्राप्त प्रस्ताव में उपलब्ध नही पाये गयें, जिनका निराकरण करते हुये समयक प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने हेतु नियंत्रक विधिक माप विज्ञान विभाग को शासन के पत्र दिनांक 23.09.2013 द्वारा निर्देशित किया गया है।

(4) नियंत्रक,विधिक माप विज्ञान विभाग के पत्र दिनांक 21.10.2013 पर कार्यवाही करते हुए नियंत्रक विधिक माप विज्ञान विभाग से शासन के पत्र दिनांक 23.09.2013 द्वारा वाछित सूचनाऐं एवं अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

(5) उपरोक्तानुसार संदर्भ पत्र के के निस्तरणार्थ विहित प्रकिया का पालन करते हुए शीध्र कार्यावाही की जाती है1

(धर्म चन्द्र पाण्डेय)
जन सूचना अधिकारी/अनु सचिव।

<u>संख्या तथा दिनांक यथोक्त</u> ।

<u>प्रतिलिपि</u> खाद्य एवं रसद विभाग (लेखा प्रकोष्ठ) उ0प्र0 शासन को भारतीय पोस्टल आर्डर सं0-17एफ.-828629 दिनांक 19.11.2013 (धनराशि दस रू0) को मूल रूप में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त धनराशि को राजकीय कोष में जमा कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(धर्म चन्द्र पाण्डेय)
जन सूचना अधिकारी/अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in